सभा पटल पर रखे गए पत्र

1202 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी. 1(2)/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, मैं पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 31	ग्यारहवां सत्र, 2012
2.	विवरण सं. 30	बारहवां सत्र, 2012
3.	विवरण सं. 28	पंद्रहवां सत्र, 2014

सोलहवीं लोक सभा

4.	विवरण सं. 28	दूसरा सत्र, 2014
5.	विवरण सं. 28	तीसरा सत्र, 2014
6.	विवरण सं. 27	चौथा सत्र, 2015
7.	विवरण सं. 24	छठा सत्र, 2015
8.	विवरण सं. 21	सातवां सत्र, 2016
9.	विवरण सं. 23	आठवां सत्र, 2016
10.	विवरण सं. 22	नौवां सत्र, 2016
11.	विवरण सं. 20	ग्यारहवां सत्र, 2017
12.	विवरण सं. 19	बारहवां सत्र, 2017
13.	विवरण सं. 15	चौदहवां सत्र, 2018
14.	विवरण सं. 16	पंद्रहवां सत्र, 2018
15.	विवरण सं. 13	सोलहवां सत्र, 2018

सत्रहवीं लोक सभा

16.	विवरण सं. 12	पहला सत्र, 2019
17.	विवरण सं. 9	दूसरा सत्र, 2019
18.	विवरण सं. 8	तीसरा सत्र, 2020
19.	विवरण सं. 8	चौथा सत्र, 2020
20.	विवरण सं. 7	पांचवां सत्र, 2021
21.	विवरण सं. 6	छठा सत्र, 2021
22.	विवरण सं. 1	सातवां सत्र, 2021

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन के सामने कभी पीठ नहीं करते हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1)

(एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the PEC Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the NEIA (National Export Insurance Account) Trust, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the NEIA (National Export Insurance Account) Trust, New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Cotton Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, on behalf of my colleague, Shri Som Prakash, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ऑफिसर गैलरी के अंदर कोई भी माननीय सदस्य कभी-भी खड़े होकर बात न करें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Bharat Sanchar Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2021-2022.

(ii) Memorandum of Understanding between the Mahanagar Telephone Nigam Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2021-2022.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2020-2021.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 and sub-section (4) of Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933:-

i. The Use of Low Power Equipment in the Frequency Bank 865-868 MHz for Short Range Devices (Exemption from Licence) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.853(E) in Gazette of India dated 13th December, 2021.

ii. The Use of Very Low Power Radio Frequency Devices or Equipments for Inductive Applications (Exemption from License) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.870(E) in Gazette of India dated 21st December, 2021.

(1205/UB/SJN)

लोक लेखा समिति
44वां से 47वां प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास का कार्यकरण' संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(2) 'स्रोत पर कर की कटौती नहीं किये जाने' संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(3) 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण' संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(4) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
74वां से 77वां प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के 74वें से 77वें प्रतिवेदनों (मूल/की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE
26th to 29th Reports

SHRI D. V. SADANANDA GOWDA (BANGALORE NORTH): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Defence:-

(1) Twenty-sixth Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Defence Estates Organisation, Defence Public Sector Undertakings, Canteen Stores Department, Welfare of Ex-Servicemen and Defence Pensions (Demand Nos. 19 and 22)'.

(2) Twenty-seventh Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, Military Engineer Services, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme and Sainik Schools (Demand Nos. 20 and 21)'.

(3) Twenty-eighth Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on `Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy, Defence Planning and Married Accommodation Project (Demand No. 21)'.

(4) Twenty-ninth Report (17th Lok Sabha) of the Standing Committee on Defence on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-23 on Directorate of Ordnance (Coordination and Services) – New DPSUs, Defence Research 4 and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps (Demand Nos. 20 and 21)'.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
21वां से 24वां प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : महोदय, मैं ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति
336वां से 339वां प्रतिवेदन

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : महोदय, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 336वां प्रतिवेदन।

(2) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 337वां प्रतिवेदन।

(3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 338वां प्रतिवेदन।

(4) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 339वां प्रतिवेदन।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS / OBSERVATIONS IN 353rd AND 354th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE -- LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to lay on the Table of the House statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 353rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 343 rd Report of the committee on Demands for 6 Grants (2021-22) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology.

(2) the status of implementation of the observations/ recommendations contained in the 354th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 344th Report of the committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 157th AND 161st REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COMMERCE -- LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, on behalf of Shri Som Prakash, I beg to lay on the Table of the House:-

(1) The status of implementation of the recommendations contained in the 157th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on action taken by the Government on the recommendations contained in 153rd Report of the committee on Demands for Grants (2020-21) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

(2) The status of implementation of the recommendations contained in the 161st Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Review of the Intellectual Property Rights Regime in India" pertaining 7 to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

(1210/YSH/KMR)

BUSINESS OF THE HOUSE

1210 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 21st of March, 2022 will consist of:

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today' s order paper: - [it contains (i) Further discussion and voting on Demands for Grants for 2022-23 under the control of the Ministry of Railways, (ii) Discussion and voting on Demands for Grants for 2022-23 under the control of the Ministry of Road Transport and Highways, (iii) Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022 (with respect of State of Tripura).]
2. Discussion and voting on Demands for Grants for 2022-23 under the control of the following Ministries:
    (i) Civil Aviation
    (ii) Ports, Shipping and Waterways
3. Consideration and passing of the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2022 after it is passed by Rajya Sabha.
4. Guillotining of outstanding Demands for Grants in respect of Union Budget for 2022-23.
5. Consideration and passing of the Finance Bill, 2022.

MOTION RE: 30TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1211 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Thirtieth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 15th March, 2022."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा 15 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभा की बैठक के बारे में घोषणा

1212 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, रंगों के उत्सव, होली पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई। होली का त्यौहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और पूरे देश को सामाजिक सौहार्द, एकता और भाईचारे का संदेश देता है। आप सभी को और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।

दिनांक 14 मार्च, 2022 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह विचार किया गया कि होली के अवसर पर 17 तारीख, अर्थात बृहस्पतिवार को सदन की बैठक स्थगित रखी जाए, ताकि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के साथ होली का त्यौहार मना सकें। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1214 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है – श्री मनीष तिवारी, ई. टी. मोहम्मद बशीर, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री एंटो एंटोनी, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री गौरव गोगोई, श्री हनुमान बेनिवाल, श्री बैन्नी बेहनन, श्री हिबी इडन। स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

---

*MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

1214 hours

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): Mr. Speaker, Sir, thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level-playing field to all political parties.

Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favour politicians of the Ruling Party. Recently, Al Jazeera and the Reporters' Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertisers posing as news media is flourishing on Facebook bypassing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules, and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the Government.

(1215/RCP/SPS)

The blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the ruling establishment is dangerous for our democracy. Young and old minds alike are being filled with hate through emotionally charged disinformation. Proxy advertising companies like Facebook are aware of this and are profiting from it. These reports show a growing nexus between big corporations, the ruling establishment, and global social media giants like Facebook.

माननीय अध्यक्ष : आपकी डिमाण्ड क्या है?

SHRIMATI SONIA GANDHI (RAEBARELI): … (*Interruptions*) Sir, through you, I urge the Government to put an end to the systematic influence and interference of Facebook and other social media giants in the electoral politics of the world's largest democracy. This is beyond partisan politics. We need to protect our democracy and social harmony regardless of who is in power.

Thank you, Sir.

---

* Please see pp. 328-329 for the list of Members who have associated.

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट) : सर, मैं इस शून्य काल में अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र, जो ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, वहां बुनियादपुर में सीपीडब्ल्यूडी का सेंट्रल डिवीजन ऑफिस था। कोरोना काल के दौरान इस ऑफिस को क्लोज किया गया है। मैंने मंत्री जी को इस विषय में बहुत बार चिट्ठी लिखी है। एक ऑफिस क्लोज करना, सिर्फ ऑफिस क्लोज करने तक ही सीमित नहीं रह जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस के साथ बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा होता है, जो कैजुअल स्टाफ के रूप में वहां पर काम करते हैं। इस कोविड काल में हमारी सरकार की नीति है कि लोगों की जॉब न जाए, नौकरी न जाए, उस समय इस सेंट्रल ऑफिस को बंद करना, मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सर, मुझे लगता है कि एज ए जन प्रतिनिधि, एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट के नाते इस तरह के डिसीजन होने से पहले उस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि के साथ इस विषय में थोड़ा डिसकस करना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से आदरणीण मंत्री जी से निवेदन है कि वे अपने सिद्धांत की पुनर्विवेचना करें और इस ऑफिस को खोलने का निर्देश दें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सर, यह जो कांग्रेस पार्टी है … (व्यवधान) सौ चूहे खाकर, बिल्ली चले हज को। यह संविधान है और संविधान में आर्टिकल-19 है। … (व्यवधान) ये सेपरेशन ऑफ फैक्ट, जो सोनिया जी आरटीआई लेकर आईं, वह आईटी एक्ट में 66ए लाकर, इन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का प्रयास किया। यह जो मानसिकता है, वह यह है कि यदि 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ तो उसमें नेहरू का क्या रौल था, कांग्रेस का क्या रौल था, यह देश के सामने नहीं आना चाहिए। उसी तरह से यदि तिब्बत दे दिया, जिसके कारण … (व्यवधान) आज रूस अच्छा कर रहा है, यूक्रेन पर हमला कर रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप बैठिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, आज आप समझिए कि ये तिब्बत की हिस्ट्री को मिटाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : नो, नो।

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सर, ये 62 वार की हिस्ट्री को भुलाना चाहते हैं, इमरजेंसी को भुलाना चाहते हैं। … (व्यवधान) मैं आपको यह कह रहा हूं कि ये कश्मीर के इतिहास को भुलाना चाहते हैं। यहां फारूख़ अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं, इनको यह बताना चाहिए कि गुलाम मोहम्मद शाह को किस आधार पर कांग्रेस ने मुख्य मंत्री बनाया था, जिसके कारण कश्मीर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है?

… (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : स्पीकर महोदय, फेसबुक और ट्वीटर पब्लिशर है या इंटरमिडियरी हैं, अभी इसका फैसला नहीं हो पाया है। संविधान में आर्टिकल-19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया हुआ है। आज यदि यासीन मलिक का फोटो मनमोहन सिंह के साथ दिखाई देता है, जिसने इण्डियन एयर फोर्स के ऑफिसर को मारा, उसको रोकने की कोशिश है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि आप एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाकर, कांग्रेस के समय किस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोका गया, उसकी व्यवस्था कीजिए और देश को वाइट पेपर में सब जानकारी दीजिए। कांग्रेस पार्टी को बताइए कि आप इस संविधान के कितने बड़े तोड़क हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।

(1220/RK/RAJ)

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Thank you, Sir. With your permission I would like to change the subject as I have already spoken on the issue of railway yesterday. Today, I would like to raise a very important issue pertaining to our Telangana State.

Secunderabad cantonment area is spread over a large part of northern Hyderabad city. Two major roads connecting Nagpur, interstate highways connecting Chandrapur, and a few State roads are passing through the cantonment. Over a period of time, these roads have been widened owing to the growing traffic demand. However, the State could not do so in the cantonment limit because the local officials were not permitting the same.

Indeed, Telangana State is now proposing to have the roads further widened and construct flyovers and skyways in order to meet the fast-growing traffic requirements. Periodically, the roads in the cantonment area are closed to civilian traffic during night time. This is causing much inconvenience to the public and creating friction with the local authorities.

Sir, through you, I would like to bring to the kind notice of the hon. Defence Minister the above-mentioned issue and would request that instructions may be given to the local cantonment officials and the Ministry of Defence may extend necessary cooperation in this regard in order to provide a permanent solution to this vexatious issue at the earliest.

HON. SPEAKER: Shri Lavu Sri Krishna Devarayalu – Not present

Dr. Heena Vijaykumar Gavit – Not present

SHRI MANNE SRINIVAS REDDY (MAHBUBNAGAR): Thank you, Speaker, Sir, for giving me an opportunity to speak today.

As the House is aware, the hon. Members of Parliament can recommend ten names for admission of candidates in Kendriya Vidyalaya schools in an academic year in their parliamentary constituencies. I would say that this is quite insufficient. With much constraint I would like to draw the kind attention of the House that each parliamentary constituency may be having around seven lakh population. Constituencies surrounding the metropolitan cities may be having more than ten lakh population. My Mahbubnagar parliamentary constituency, which is near Hyderabad, in Telangana State is one among them.

The people of my constituency keep reminding me about this issue of KV admission, whenever I go on tour, and I am unable to give a convincing reply to them. I hope the entire House will agree with me that almost all the MPs are facing a lot of pressure from people coming from all walks of life, with regard to admission of their wards in KV schools. Especially, there is a lot of demand from poor and middle-class people.

I would, therefore, request the hon. Minister, through the Chair, to kindly consider increasing the quota of hon. MPs for recommending admission of students in Kendriya Vidyalayas.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Speaker, Sir. In Kerala, Shri Pinarayi Vijayan led Government is having an undeclared war with the local people.

Kerala Government's K-Rail SilverLine semi high-speed rail corridor project is an example of communist brutality and terror, as the project is being bulldozed through the homes and fields of people by a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) police, revenue officials, and K-Rail employees who are nothing but *… (Not recorded)* of the LDF Government.

The *… (Not recorded)* employees, who are the *… (Not recorded)* of the State Government, violate every law of the land. They break open the homes of the people who have earned their assets through hard work during their entire life. The ... (*Expunged as ordered by the Chair*) of policemen and K-Rail officials planted survey stones inside their kitchens, while the helpless women, children, senior citizens, bed-ridden patients, and even priests are terrorized and assaulted.

They cry in utter helplessness, witnessing the Government becoming a ... (*Expunged as ordered by the Chair*) to implement the SilverLine Project, which is nothing but a ticking time-bomb planted over Kerala.

Even properties belonging to churches, temples, places of worship, schools, and hospitals are being targeted for acquisition for the SilverLine Project. They do not have any permission from the Indian Railways, the Government of India or NITI Aayog.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is your demand?

(1225/PS/VB)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am coming to my demand. I am describing about the incidents which happened in my Constituency.

The SilverLine Project is a prodigal and a white elephant project costing nothing less than Rs. one lakh crore plus, whereas the State Government has produced fabricated and fake DPR wherein a rosy picture has been illustrated with Rs. 63,000 crore as its cost estimate and it has also been painted as an environment-friendly project. I will further explain how the police and K-Rail *… (Not recorded)* have terrorized people by referring to an incident which happened in Mulakkuzha village of Chengannur Taluk of my Lok Sabha Constituency, Mavelikkara. After hearing reports of police and officials of K-Rail brutally assaulting women, children, parish priests, and elderly people, I reached the spot to resolve the issue and to save the people of my constituency from the brutality of police. But instead of consulting with me, the police and the officials of K-Rail started abusing and harassing me. They did not stop their verbal abuse and caste harassment even after knowing that I was a Member of Parliament, who represented the people there. If such kind of a violence was caused against an MP, you can very well imagine what the common people, especially the women, children, elderly, and priests had to suffer when the *… (Not recorded)* of K-Rail knocked at their doors like Nazis searching for Jews. The K-Rail officials and *… (Not recorded)* policemen -- with loyalty towards the *… (Not recorded)* and the Chief Minister, Shri Pinarayi Vijayan -- have been selected for carrying out the Mission SilverLine. They have terrorized and assaulted everyone.

The crimes committed by the officials and the police will turn out to be the waterloo of CPM and such actions will result in creating a Nandigram in Kerala. Now, I am concluding. I am very thankful to you for giving me an opportunity to raise a very emotional issue concerning my constituency.

Therefore, by taking note of the atrocities and illegal actions undertaken by the State Government, the Pinarayi Vijayan Government, I request the Government of India to take steps to deny permission of any kind for the K-Rail SilverLine Project so that the State is saved from a colossal disaster. Hon. Speaker, Sir, I have given a notice for privilege on this issue also. Kindly accept my privilege notice. I am also a Member of the Privileges Committee.

An undeclared war is going on in Kerala. War between Russia and Ukraine is going on there. But in Kerala, another similar kind of a war is going on. An undeclared war is going on. Without notice, the police and the officials of K-Rail are going to their homes and laying the stones.

SHRI LAVU SRI KRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, hon. Speaker, Sir.

Sir, Piduguralla, which is in Palnadu area located on Guntur-Hyderabad Highway, is popularly known as the Lime City as it is the hub of the limestone industry. Since 1995, the industry has been facing a lot of crisis. But due to pandemic and also due to the recent Ukraine crisis, this whole issue has been blown out of proportion.

A tonne of coal used to cost Rs. 11,200 but now, the cost has increased to almost Rs. 14,700. In 2020, the cost of petcock was just around Rs. 8,500 per tonne.

(1230/SMN/PC)

Now, it has shot up to almost Rs. 18,500 per tonne. The availability of coal and pet coke has also become a major issue. According to the manufacturers, they are losing around Rs. 400-500 per tonne in the manufacture of lime powder.

So, respected Sir, through you, I would request the Minister of Coal to either allocate coal or subsidise coal for the local manufacturers in Piduguralla so that they will also become competitive across the country. This is also a part of Atmanirbhar Bharat. So, I hope the Minister will take this in a positive way.

Thank you very much.

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): Sir, the textile and handloom industry in India is the second largest manufacturing industry which is presently undergoing huge financial stress and closing all its operations mainly due to tax burden. In addition to COVID distress, the Government has notified an increase in GST on natural fibre products including apparels from five per cent to 12 per cent which might affect the textiles and manufacturing units to a large extent. Due to above mentioned reasons, the textile exports comprising textile, apparel and handicraft have been affected badly. The present unsustainable price rise of cotton yarn has sabotaged the textile industry and affected the livelihood of thousands of workers. Additionally, the Union Government has brought the levy of five per cent custom duty and five percent agricultural infrastructure development cess and ten per cent social welfare cess both totalling eleven per cent on the cotton imports which have an unprecedented impact on the cotton price.

Thus, I would request the Union Government to keep the GST rate low and temporarily suspend eleven per cent import duty on cotton yarn for certain time period and take relevant policy decisions to safeguard the interest of workers.

Kindly extend the subsidy of five per cent which can save millions of small-scale workers.

Kindly take some relevant measures to revive the MSME sector and allow them to participate in the procurement process.

I humbly request the hon. Minister to take necessary intervention to control the rising price of cotton yarn.

Thank you, Sir.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, सामाजिक सुरक्षा-सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस-95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। देश भर में 65 लाख से ज्यादा ईपीएस-95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वे बहुत सी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं।

वर्ष 2018 में श्रम संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट आई ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013 में कोशियारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत आने वाले पेंशनभोगियों की मांगों पर कार्यवाही करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस-95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तन करके ईपीएस-95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को कम से कम दस हजार रुपये प्रतिमाह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए। इसके साथ ही महंगाई भत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इन पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनोज तिवारी जी – उपस्थित नहीं।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में वर्तमान में चल रही 6 मार्गीय भारतमाला परियोजना में किसानों के खेतों के रास्ते एवं बारिश के पानी की निकासी के संबंध में कई दिक्कतें आ रही हैं। मैं इन दिक्कतों के बारे में, इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं।

आदरणीय महोदय, जिस किसान के खेत से सड़क गुजरती है, उसका सर्वे नंबर ब्लॉक के दो हिस्सों में सड़क के कारण बंट जाता है। उससे दूसरे हिस्से में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं बचता है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसके लिए सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड का प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसान अपने खेतों में जा सकें।

महोदय, वर्तमान में दोनों साइड सर्विस रोड न रखकर कंपनी की ओर से दोनों साइड्स में प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। मेरा आग्रह है कि उसे बंद कर देना चाहिए, ताकि किसान अपने खेतों में आवाजाही कर सकें। इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसा सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि जालौर में भी ऐसा ही चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त लिखित समस्याओं को अपने संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द हल किया जाए, जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो और परियोजना का कार्य भी आगे बढ़ सके।

धन्यवाद।

(1235/IND/SNB)

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटिल (सतारा): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं और आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं।

महोदय, मैं मराठी में अपनी बात सदन के सामने रखना चाहता हूं।

*Hon'ble Speaker, Sir. I would like to speak in Marathi. In my Lok Sabha Constituency Satara, there are two hill stations namely Panchgani and Mahabaleshwar which are very popular since British era. But, the population of my district is very low and it must be around 10.20 lac only. There are English medium schools at Panchgani. The development plans for Panchgani and Mahabaleshwar are pending with the Central Government and no decision has been taken in this regard till date. The tourists visiting here, face many problems as there is no proper road network and tourism related infrastructure. Tourists usually prefer horse riding but the horse riding trails are also in very bad shape.

Hence I would like to urge upon the Central Government to sanction the Tourism Master Plan as early as possible as it would be beneficial for commercial activities and also generate employment in this hilly area. Our Hon'ble Forest and Environment Minister should look into it urgently.

Thank you very much for allowing me to speak in Marathi.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष जी, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गतिशक्ति प्रोजेक्ट के तहत देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं सड़कों का जाल बिछ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाली में भी सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी जी ने पूर्व में अनेक सौगातें देकर संसदीय क्षेत्र के लोगों को अनुग्रहित किया है। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पाली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो वर्ष 2016 एवं 2017 में प्रिंसिपली स्वीकृत की जा चुकी हैं और उनकी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी सबमिट किया जा चुका है। ये सड़क मार्ग सोयला से बालेसर वाया तिंवरी एवं ओसिया सड़क 126 किलोमीटर, खारिया एनएच-25 रणसी-बोरुन्दा-गोटन होते हुए एनएच 58 तक 105 किलोमीटर, देसुरी एनएच-162 से सादड़ी-लुनावा-बेरा-कागडरा होते हुए पिंडवारा तक 90 किलोमीटर, रोहट एनएच-62 से आहोर एनएच 325 तक 82 किलोमीटर, मारवाड़ जंक्शन से कामलीघाट तक 50 किलोमीटर, सोजत से सिरयारी होते हुए देसुरी तक 93 किलोमीटर, सांडेराव से बाली होते हुए सादड़ी तक 43 किलोमीटर, जोधपुर बाईपास 61.4 किलोमीटर है।

माननीय अध्यक्ष : चर्चा के समय आप इस विषय पर डिटेल में अपनी बात कह लीजिएगा। अभी आप अपनी मांग उठाएं।

---

* Original in Marathi.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): अध्यक्ष जी, सिर्फ दो लाइन और कहना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र की ये सभी उल्लेखित सड़कें प्रमुख व्यापार और पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इन सड़कों को आर्थिक दृष्टिकोण, आवागमन एवं आमजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए इन सभी सड़क मार्गों को नेशनल हाइवे के रूप में विकसित करने का आग्रह करता हूं।

महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि पूर्व की भांति आप इन मांगों पर भी सहृदयतापूर्वक कार्यवाही करते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये सौगातें देने की कृपा करेंगे।

(1240/RU/CS)

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Sir, even though I have raised this matter yesterday, I would like to say a few words about it now.

I would like to thank Shri Narendra Modi ji, hon. Prime Minister and Shri Ashwini Vaishnav ji, hon. Minister of Railways for their keen personal interest in various developmental work in my parliamentary constituency, Koppal in Karnataka.

My constituency, Koppal, comes under Article 371(j) and is a backward district with over 18 large, six medium and over thousand small scale industries apart from about 150 rice mills. In 2021, the Government approved the toys manufacturing cluster which is coming up in an area of over 400 acres of land.

My constituency is surrounded by tourist as well as pilgrimage places which attracts tourists and devotees from nearby and far off places including tourists from abroad. Anjanadri Hills is a revered place which is believed to be the birth place of Lord Hanuman. The World Heritage Site for Happiness is a tourist as well as pilgrimage Centre which is situated in my constituency. Due to influx of tourists and pilgrims, the available facilities are insufficient causing inconvenience and discomfort.

Through you Sir, I would request the hon. Minister of Railways for upgrading the railway station at Gangavathi in Koppal with various facilities for the comfort of the visiting tourists and pilgrims which in turn will result in increasing the number of visitors and development of locally available trade and commerce. This would be highly appreciated.

I would also request for the following:

1. New 35 kilometre length railway line from Gangavathi to Daroji (It is very essential for trade and commerce purpose)
2. Restart of Kolapur-Hyderabad Express (Train No. 11303/11304 and Hubli-Tirupati Train No. 57273/57274)
3. Two new BG projects have to be completed within March, 2024, namely Gadag-Wadi and Munirabad to Mahabubnagar.
4. Start new trains between Ayodhya to Kishkinda, Gangavathi and Hubli to Bidar via Bellary under Vande Bharat Scheme.

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, I am very constrained to point out and regret to say that due to the apathy, indifference and inaptitude of the Ministry of Jal Shakti, a State like Assam has been continuously suffering as they have not been able to perceive the problem of flood and erosion in totality.

We have been trying to raise this problem again and again for the last couple of years. Almost 40 per cent of the land area of Assam is flood prone. Flood comes and goes away. But the phenomenon which affects Assam is river erosion and that problem of erosion has not been addressed. Assam has lost 4.4 lakh hectares of land to erosion. That is why, we have been trying to draw the attention of the Minister of Jal Shakti and we have been requesting them to address this problem in totality.

We have some suggestions to them. I will just read out those suggestions.

1. Including erosion in the admissible list of calamities for Government assistance under the National Disaster Response Force (NDRF)
2. Adding flood control and management including anti-erosion schemes to the Concurrent List.
3. Reactivate the model draft Bill for flood plain zoning and provide financial assistance especially to populous States to enact the same to facilitate compensation and provisioning of alternative lands to those displaced.

These problems have to be addressed and this is our earnest request. Thank you.

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): महोदय, धन्यवाद।

पिछले लगभग दो साल से कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसका असर आने वाले कई दशकों तक रहेगा। कोविड ने आम जीवन से लेकर अर्थव्यवस्था तक सबको हिलाकर रख दिया। दुनिया का हर सेक्टर इसकी चपेट में आया है। इसके कारण बेरोजगारी भी बढ़ी है। इसकी चपेट में डिफेंस सेक्टर खासकर आया है, पिछले तीन सालों में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज की कोई भर्ती नहीं हुई है। इसकी वजह से लाखों की संख्या में देश का नौजवान ओवर ऐज हो चुका है।

(1245/KN/SM)

अब वे नौजवान, जो कई सालों से आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओवर ऐज होने की वजह से आर्मी और फोर्सेस की भर्तियों में भाग नहीं ले सकेंगे।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ के भी हजारों प्रार्थी इसमें शामिल हैं, जो देश की सेवा हेतु सब काम छोड़ कर तैयारियों में जुटा हुए थे। लेकिन कोविड महामारी ने उन नौजवानों के सपनों पर पानी फेर दिया। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी व रक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए कोविड की वजह से ओवर ऐज प्रार्थियों को उम्र में कम से कम दो साल की छूट दी जाए ताकि उन नौजवानों की कई साल की मेहनत बेकार न जाए और इन नौजवानों को देश की सेवा का मौका मिल सके। धन्यवाद।

श्री मोहनभाई कुंडारिया (राजकोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस और अहमदबाद-पटना एक्सप्रेस के टाइम टेबल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, सभी ट्रेन्स वापस अहमदाबाद पहुंच कर रेलवे यार्ड में लगभग 22 घंटे तक खड़ी रहती हैं। उक्त सभी ट्रेनों के लिए अहमदाबाद से राजकोट तक आसानी से टर्न-अराउंड के लिए पर्याप्त समय है। इन ट्रेनों का राजकोट तक विस्तार किया जाए, तो इसे राजकोट के लिए अतिरिक्त ट्रेनों के रूप में माना जा सकता है और यह रेलवे के लिए राजस्व का अतिरिक्त स्रोत भी होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उक्त ट्रेनों को राजकोट तक विस्तारित किया जाए। धन्यवाद।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, I want to seek the immediate attention of the Government on detention of Indian fishermen in Indonesia and Seychelles.

Indonesian authorities have detained eight Indian fishermen on 7th March, 2022 for crossing the sea border. These fishermen went to the sea from Andaman and Nicobar Islands. Their boat crossed the sea border due to strong winds and they were held by the Indonesian authorities for legal proceedings. Three fishermen belong to my Constituency in Kerala and five are from Tamil Nadu.

In another two incidents, the Seychelles Coast Guard has detained 58 fishermen on charges of crossing their territorial water border. The arrested fishermen were in two boats and they belong to Kerala and Tamil Nadu.

Sir, I request for an immediate intervention of the Government for release and repatriation of the fishermen detained in Indonesia and Seychelles.

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): Thank you, Speaker Sir, for giving me the opportunity to raise a matter of urgent public importance of my Constituency.

Sir, in Jhargram district, there is only one Aadhaar Facilitation Centre at Jhargram Head Post Office in West Bengal. Earlier, there were two counters in operation for new enrolment, corrections etc. in Aadhaar card.

Presently, only one counter is in operation for enrolment and correction., The common people are facing enormous trouble for enrolment or necessary correction due to the closing of the other counter. It is taking more than five to six months for enrolment or correction in Aadhaar card. It is also mentioned that the pre-formalities for Aadhaar card are being done in a temporarily-placed table under the staircase.

Therefore, it is my humble request to the concerned hon. Minister, through you, to kindly set up five or more counters functional at Aadhaar Facilitation Centre at Jhargram Head Post Office and allot a dedicated room with ample space so that the common people are able to get themselves enrolled or make necessary corrections in Aadhaar card smoothly. Thank you.

(1250/GG/KSP)

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको होली के त्योहार की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ ही पूरे सदन को शुभकामनाएं देता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर और अकबरपुर में जाम की समस्या के निदान हेतु आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, कानपुर महानगर में जाम की विकराल समस्या है। लगभग एक करोड़ की आबादी वाला कानपुर शहर जीटी रोड के कारण दो भागों में बंटा हुआ है। इस कारण तमाम ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय, जेके कैंसर अस्पताल, एसपीटीआई, तमाम ऐसी शिक्षण संस्थाएं और तमाम विकास भवन, जिसके कारण आवागमन में बाधा होती है। रेलवे फाटक से मालगाड़ियां और तमाम गाड़ियां निकने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए हमारे द्वारा निवेदन पर वर्ष 2017-18 में वहां अनवरगंज से और मंदना तक एलिवेटिड रोड का बजट रखा गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं हो पाया। इसके बाद दोबारा मेरे निवेदन पर माननीय पीयूष गोयल जी ने, तत्कालीन रेल मंत्री थे, तब कानपुर में एक सर्वे करवाया, जिसको बिठूर से मंदना और पनकी जोड़ने की बात हुई थी। उसका सर्वे भी हो गया था, लेकिन वह समस्या आज भी उसी तरीके से पड़ी हुई है। जाम के कारण आए दिन तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, एंबुलेंस और अस्पतालों में जाने वाले लोगों को कठिनाई होती है।

पुन: माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है। वैसे मैंने कल इस विषय को सदन में रख दिया था। लेकिन चूंकि जीरो ऑवर में पहले जा चुका था, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर संज्ञान लेते हुए एक समुचित कार्रवाई कर के निजात दिलाने की कृपा आपके माध्यम से होगी।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माहोदय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 44 'खेलो इंडिया' केंद्रों की स्वीकृति दी है। मेरा लोक सभा क्षेत्र एक सब-अर्बन इलाका है और वर्तमान में हमने अम्बरनाथ में एक शूटिंग रेंज अम्बरनाथ नगर पालिका के माध्यम से बनाई है। इसमें प्रशिक्षण ले कर 15 लोग नेशनल्स के लिए क्वालिफाई कर गए। एमएमआर रीजन में मेरा जो लोक सभा क्षेत्र पड़ता है, मुंबई, एमएमआर में दिन-ब-दिन आबादी बढ़ती जा रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का लोकेशन एडवांटेज और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, अगर यहां पर खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसमें मल्टीडिस्प्लेनरी स्पोर्ट कॉम्पलेक्स बनाया जाए, तो वहां पर और उसी के साथ मुंबई और महाराष्ट्र से जो खिलाड़ी आते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता जैसे ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वे कर सकेंगे। तो मेरे चुनाव क्षेत्र में एक खेलों इंडिया केंद्र की स्थापना हो, यह मैं मांग करता हूँ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी निशानेबाजी और तीरंदाजी में अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। इसमें गांव-देहात के गरीब खिलाड़ी भाग लेते हैं। इनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है।

इन खेलों में इस्तेमाल होने वाली किट दूसरे खेलों से मंहगी होती है। अगर तीरंदाजी की बात की जाए तो रिकर्व और कंपाउंडण तीर-धनुष का इस्तेमाल एशिया कप व ओलंपिक खेल के लिए होता है और इसकी कीमत लगभग दो लाख से ढाई लाख रुपये होती है। जबकि अगर कोई राइफल इवेंट की शुरूआत करे तो उसे ट्राउजर, जैकेट, इनर्स, गलव्स, शूज़ लेने पड़ते हैं, जिसकी कीमत 60 से 70 हजार रुपये तक जाती है। राइफल की कीमत 2.5 से ले कर 10 लाख रुपये तक होती है। पिस्टल की कीमत 4 से 5 लाख रुपये तक होती है।

इस प्रकार इस खेल किट की ज्यादा कीमत होने के कारण गरीब प्रतिभावान खिलाड़ी इसको नहीं खरीद पाते हैं। हमारे पास भी कई सारे गरीब खिलाड़ी मदद मांगने आते हैं।

महोदय, हमारे इतने बड़े देश में खिलाड़ियों को सुविधा नहीं होने के कारण ओलंपिक या अन्य प्रतियोगिता में खिलाड़ी मैडल नहीं ला पाते हैं। मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार, खास कर खेल मंत्रालय से ऐसे गरीब खिलाड़ियों को मदद की जाए, ताकि वे देश के लिए खेलें।

(1255/RV/KKD)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली में निरन्तर बढ़ रही आग लगने की घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें गरीब, झुग्गी वासी के जान-माल के नुकसान की और एक के बाद एक कई लोगों की इसमें तड़प-तड़प कर मरने की बात है, लेकिन दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वह इस पर कोई कार्रवाई करने के बजाए इसकी जो जाँच रिपोर्ट है, उसको भी नहीं आने दे रही है।

मैं अगर तीन मामलों को बताऊं तो यहां जनवरी, 2018 में 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। वर्ष 2019 में एक आग की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और वर्ष 2019 में ही 43 श्रमिक एक कमरे में जल कर मर गए, जिनके यहां अवैध बिजली का कनेक्शन दिया गया था। अभी दो दिन पहले सात लोग मर गए। उसकी जाँच रिपोर्ट को आने नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके मार्फत यह कहना है कि दिल्ली सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करे। इसकी जो जाँच रिपोर्ट है, उसे दिखाए, उसे न छिपाए। इस घटना में कई गरीब लोगों की बेटियों की शादी के लिए इकट्ठे किए गए सामान जल गए और उन्हें इसके लिए कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार इस पर कुछ कार्रवाई करे, यह आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का मौका दिया। मेरे संसदीय क्षेत्र में नेशनल हाईवे 753 'बी', जो कि सेवालि, नन्दुरबार, तलोदा, अंकलेश्वर को जाती है और यह हाईवे मेरे क्षेत्र से होकर गुजरती है। जब यह हाईवे सैंकशन हुआ और इसका डी.पी.आर. बनाने का काम शुरू हुआ, तब इस हाईवे पर पैसेन्जर कार यूनिट (पीसीयू) इंडेक्स बहुत कम था और इसके कारण इसकी फोर-लेनिंग का प्रोपोजल नहीं बना और थोड़े कम विड्थ का नेशनल हाईवे सैंक्शन हुआ। इसके डीपीआर बनने के कुछ महीने बाद तापी नदी पर हथोडा गांव के पास एक बहुत बड़ा ब्रिज बना, जिसके बाद इस रोड पर ट्रैफिक बढ़ गया है और इसका पीसीयू इंडेक्स 18,000 से ज्यादा हो गया है।

महोदय, मिनिस्ट्री ने नेशनल हाईवे को फोर-लेनिंग करने के लिए जो गाइडलाइन्स तय की है, उसके अनुसार अभी यह फोर-लेनिंग के लिए हो सकता है। इस हाईवे पर रोज दो से तीन बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मैं यह माँग करती हूं कि नन्दुरबार और तलोदा का जो स्ट्रेच है, इसकी फोर-लेनिंग सैंक्शन हो और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू हो।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन और भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, बिहार के कुछ स्टेशनों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के ठहराव और एक नई गाड़ी नई दिल्ली और मुम्बई के लिए चलाने की मांग करना चाहता हूं।

महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र में जिला मुख्यालय का सबसे प्रमुख स्टेशन अनुग्रह नारायण रोड है। मैं अनुग्रह नारायण रोड, रफीगंज, जाखिम, फेसर, गुरारू, गया और नवीनगर रोड स्टेशनों पर गाड़ियों के ठहराव की मांग करता हूं।... (व्यवधान)

1259 बजे (श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि आप भी माननीय सदस्य हैं, मैं भी मेम्बर हूं। आप भी जब बोलेंगे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मैं आपसे क्षमाप्रार्थी हूं। मेरे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं उसके बारे में निवेदन कर रहा था।... (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): क्षमा मांगने की बात नहीं है। पर, समय कम होता है और उतने ही समय में अपनी बात पूरी करनी होती है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर दिल्ली से सियालदह के बीच चलने वाली सियालदह राजधानी के ठहराव की मांग करता हूं। (1300/MY/RP)

इसके साथ ही इस स्टेशन पर और भी गाड़ियाँ हैं, जिनका नंबर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। इन गाड़ियों का नंबर 12988-87, 12938-37, 12354-53, 12815-16, 13167-18, 18639-40, 12389-12390, 22805-06, 15021-22 है। इन गाड़ियों का ठहराव अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन पर किया जाए। रफीगंज स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12321-22, 12307-08, जाखिम स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13349-50, 12397-98, 13151-52, 13009-10, फेसर स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13010-09, 13152-51, गुरारू स्टेशन पर गाड़ी संख्या 13350-49 और नबीनगर रोड स्टेशन पर सासाराम राँची फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस की ठहराव की माँग, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ।

महोदय, साथ ही सबसे देर में दिल्ली से पहुँचने के लिए एक गाड़ी है, जिसका नाम हमसफ़र एक्सप्रेस है। इसकी संख्या 12349-12350 है, जो गोड्डा से नई दिल्ली के लिए चलती है। इन गाड़ियों के ठहराव के साथ-साथ, मैं धनबाद से गया व अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन होते हुए, नई दिल्ली और मुम्बई के लिए एक-एक नई गाड़ी, चाहे वह वंदे भारत के रूप में हो, दुरंतो के रूप में हो या किसी रूप में हो, मैं आपके माध्यम से एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की माँग करता हूँ।